



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17032021-225952  
CG-DL-E-17032021-225952

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1141]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 16, 2021/फाल्गुन 25, 1942

No. 1141]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 16, 2021/PHALGUNA 25, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2021

का.आ. 1229(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1744 (अ) दिनांक 04, जून 2020 जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II खंड-3 उपखण्ड-(ii) में दिनांक 04, जून 2020 को प्रकाशित की गई थी में एतद द्वारा निम्नलिखित संसोधन करती है, यथा –

मौजूदा अधिसूचना की उक्त सरणी में

तालिका के कॉलम 3 में उल्लेख किया गया खिंचाव "0 किमी. से 72 किमी." को "0 किमी. से 21 किमी." के रूप में पढ़ा जाए।

पाद टिप्पणी :—मूल अधिसूचना संख्या का.आ. 1744 (अ) दिनांक 04, जून 2020 जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II खंड-3 उपखण्ड-(ii) में दिनांक 04, जून 2020 को प्रकाशित की गई थी। जाँच के बाद प्रमाणित किया जाता है की इस अधिसूचना के तत्स्थानी सही है।

[फा. सं. RO/BBSR/11017/LA/97/2016/Corr]

राजेश गुप्ता, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 16th March, 2021

**S.O. 1229(E).**—In the exercise of the powers conferred by the clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways **S.O. No. 1744 (E) dated 04, June 2020** published in the Gazette of India Extraordinary Part-II Sub-section 3(ii) dated 04, June 2020 namely;

**In the Existing schedule to the said notification**

In the Column 3 of the table the Stretch mentioned “0 Km. to 72 Km.” read as “0 Km. to 21 Km.”

Note:- All other entries remain unchanged.

**N.B:**—In original notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways S.O. No. 1744(E) dated 04, June 2020 published in the Gazette of India Extraordinary Part-II Sub-section 3(ii) dated 04, June 2020 after verification this corrigendum fact is true and correct.

[F. No. RO/BBSR/11017/LA/97/2016/Corr]

RAJESH GUPTA, Director